हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 79

सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा संबोधन

माननीय अध्यक्ष ने मध्यावकाश के उपरान्त बजट सत्र में भाग लेने के लिए सभी मंत्रिगण व सदस्यों, विशेषकर सदन के नेता श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी व संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का हार्दिक स्वागत किया।

1. शोकोद्गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री रिखी राम कौण्डल, पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्गार व्यक्त किए-

1. **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**
2. **श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष**
3. **डॉ0 राजीव बिन्दल**

4. **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मंत्री**
5. **श्री जीत राम कटवाल**
6. **श्री राम लाल ठाकुर**
7. **श्री राजिन्द्र गर्ग**
8. **श्री सुभाष ठाकुर**
9. **श्री हंस राज, माननीय उपाध्यक्ष**

माननीय अध्यक्ष ने निम्न शब्दों में अपने शोकोद्‌गार व्यक्त किए-

"स्वर्गीय श्री रिखी राम कौण्डल, पूर्व सदस्य के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूँ तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवदेना प्रकट करता हूँ।"

(**दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।**)

<u>नियम-16 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री (**संसदीय कार्य मंत्री**) ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत नियम-16 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया-

'यह सदन इस मत का है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1973 के नियम-37, 'प्रश्नकाल' तथा नियम-16, 'सभा की बैठकों का प्रचलन' को निलंबित किया जाए।'

श्री मुकेश अगिन्होत्री, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चाहा कि इस सत्र की शेष बची 7 बैठकों का समायोजन वर्षाकालीन एवं शीतकालीन सत्रों में किया जाए ताकि सदन की एक वर्ष के लिए निर्धारित 35 बैठकें आयोजित करने का अनुशासन बना रहे।

शिक्षा मंत्री ने उनके सुझाव पर सहमति प्रकट की।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों की ओर से कोरोना वायरस से कारगार तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाने हेतु चर्चा के लिए नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया गया है

लेकिन वह परिस्थितियों के दृष्टिगत इस नोटिस पर चर्चा हेतु ज़ोर नहीं डालना चाहते। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी से लड़ने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके।

नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि सरकार को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों व मज़दूरों को लॉक डाऊन के दौरान Paid Holidays हों, प्रदेश में राशन, दवाइयां तथा सभी आवश्यक उपलब्ध रहे, पानी बिजली के बिल निर्धारित तिथि के बाद भी दिए जा सकें, प्रदेश की सीमाएं सील हों अपातकालीन सेवाएं बनी रहें, इस वायरस के परीक्षण (test) की सुविधा उपलब्ध हो, आम कर्मचारी घर में रहे, कम-से-कम आगामी 15 दिनों के लिए Lock Down लागू हो, विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचाने का उचित प्रबन्ध हो तथा उन्हें विधायक निधि से लोगों में sanitizer व Mask देने की हिदायतें जारी हों।

श्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में इस वायरस की जांच के लिए परीक्षण सुविधा उपलब्ध करने, लोगों को खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने तथा लोगों को दूर-दराज के क्षेत्रों से उनके घर पहुँचाने हेतु प्रबन्ध करने, जिला स्तर पर विधायक की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन समिति गठित करने, आदि सुझाव दिए।

मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सभी तरह के प्रबन्धों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस जैसी आपदा पर नज़र रखने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) को जिम्मेवारी सौंपी गई है तथा सरकार इस पर पूरी नज़र बनाए हुए है। उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया कि वे केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निदर्शों तथा Advisory के बारे में जनता को जागरूक करने में मदद करें। मुख्य मंत्री ने सूचित किया कि की सरकार राज्य में आज से ही Lock Down घोषित करने का निर्णय ले सकती है। उन्होंने सूचित किया कि इस अवधि में Treasuries, Banks तथा आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय खुले रहेंगे। मुख्य मंत्री ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए सदस्यों के सुझावों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा।

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

(अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत कार्यसूची में सम्मिलित सभी विषयों से संबंधित सूचनाओं एवं कागज़ातों को सभापटल पर रखा हुआ समझा गया।)

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुतीकरण, मतदान एवं पारण

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा किए बिना सभी मांगे गिलोटिन द्वारा पास करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त आर्डर पेपर के कॉलम नम्बर-3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल-प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार।

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं।

<u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2)" पारित हुआ।

सत्र का समापन

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने सत्र के समापन पर अपने उद्‌गार प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह सत्र विशेष परिस्थितियों में आज ही संपन्न हो रहा है। उन्होंने पुनः कोरोना वायरस द्वारा पैदा की गई महामारी से निपटने हेतु सरकार के प्रण को दोहराया। मुख्य मंत्री ने सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा में योगदान देने के लिए विपक्ष का आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने सचिव विधान सभा, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों, सरकार के अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों तथा मीडिया का उनकी अहम् भूमिका के लिए धन्यवाद किया। मुख्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष, श्री राकेश सिंघा तथा अन्य सभी सदस्यों का भी सदन के सफल संचालन में सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने सत्र की समाप्ति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस सत्र को विशेष परिस्थितियों में समाप्त करने का निर्णय और उस पर प्रतिपक्ष की सहमति मानवता पर मण्डरा रहे खतरे के दृष्टिगत बनी है। उन्होंने चाहा कि इस Lock Down के दौरान सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के मुख्य बिन्दु (salient features) सभी विधायकों को उपलब्ध करवाए जाएं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने समय से पूर्व बजट पास करने में सरकार को सहयोग दिया है, इसलिए बजट में उपलब्ध धनराशि जनता को कैसे उपलब्ध हो, वह सब कार्य अब सरकार को देखना है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन के सफल संचालन के लिए इस कार्य से जुड़े सभी पक्षों का धन्यवाद किया।

माननीय अध्यक्ष के उद्‌गार

माननीय अध्यक्ष ने बजट सत्र की समाप्ति पर निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट किए एवं सदन द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण दिया-

> "आज बजट सत्र समाप्ति की ओर है। इस सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें आयोजित हुईं। सत्र का प्रारम्भ दिनांक 25 फरवरी, 2020 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हुआ। दिनांक 26 फरवरी, 2020 को अध्यक्ष का चुनाव हुआ तथा इसके उपरान्त 27 फरवरी, 2020 को अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया और उसको पारित भी किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 5 दिन चर्चा हुई। माननीय मुख्य मंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने दिनांक 6 मार्च 2020 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 प्रस्तुत किए। इन पर 4 दिन दिनांक 11 मार्च से 14 मार्च, 2020 तक चर्चा हुई। दिनांक 15 मार्च से 22 मार्च 2020 तक मध्यावकाश (recess) हुआ जिसमें सदन की समितियों ने बजट अनुमानों की संवीक्षा की। दिनांक 23 मार्च, 2020 को ही बजट अनुमान की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, मतदान एवं पारण गिलोटिन द्वारा किया गया। विनियोग विधेयक पुरःस्थापित एवं पारित किया गया। माननीय मुख्य मंत्री एवं मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी सभापटल पर रखे गए और महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए। इसके लिए मैं सब का आभार प्रकट करता हूँ।

सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा की सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी एवं नेता प्रतिपक्ष के सहयोग का भी बहुत-बहुत आभारी एवं धन्यवादी हूं, जिनकी वजह से मैं इस माननीय सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन कर पाया। मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री व मुख्य सचेतक का भी बहुत आभारी एवं धन्यवादी हूं जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाये रखा। मैं अपने सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष विधान सभा व सभापति तालिका के सभी सदस्यों, जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया, का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस माननीय सदस्य के समस्त माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने विषयों को सदन में प्रभावशाली ढंग से रखा। मैं अपने सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों राज्य सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका भी आभारी हूं, जिन्होंने सत्र से सम्बन्धित कार्यों को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया। मैं प्रिंट मीडिया तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के मित्रों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत पिछले कल माननीय प्रधानमन्त्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर जिस तरह से लोगों ने जनता कर्फ्यू में अपना सहयोग दिया, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कोविड-19 से हमें डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सभी को हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। कोरोना हारेगा, भारत जितेगा,इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने-अपने स्तर पर सावधानी बनायें तथा कोरोना को हराने में अपना सहयोग दें। मैं कोरोना के विरुद्ध लड़ने वाले चिकित्सकों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, पुलिस व अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों का भी आभार एव धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं जो आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में दिन-रात लगे हुये हैं। मेरा सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि समय-समय पर जारी होने वाले सरकारी आदेशों का अक्षरशः पालन करें।

अन्त में मैं ईश्वर तथा प्रदेश के देवी-देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि महामारी के इस प्रकोप से सभी को सुरक्षित रखें।"

(राष्ट्रीय गीत के लिए सभा मण्डल में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

सदन की बैठक 01.00 बजे अपराह्न अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।